6. आदेश

अतः यह न्यायालय पाता है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत आरोप प्रमाणित नहीं हुए हैं।

अतः अभियुक्तगण – 1. पंकज कुमार 2. पिंटू सिंह उर्फ़ ज्योति भूषण सिंह 3. पप्पू कुमार झा 4. सुमित कुमार 5. गुड्डू सिंह उर्फ़ राहुल कुमार साह को धारा 290, 294, 34 भा.दं.सं. एवं धारा 3/4/7 अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम के आरोपों से संदेह का लाभ देते हुए बरी किया जाता है। अभियुक्तगण के जमानत बंधपत्र (bail bonds) को मुक्त किया जाता है।

दिनाँक – 27.08.2025

Md Gulam Rasul
मो० गुलाम रसूल
न्या० दण्डा० प्र० श्रे०,
पटना।

निर्णय आज दिनाँक 27.08.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखित, शुद्धिकृत, हस्ताक्षरित, दिनाँकित, मुद्रांकित एवं उदघोषित किया गया।

दिनाँक –27.08.2025

Md Gulam Rasul
मो० गुलाम रसूल
न्या० दण्डा० प्र० श्रे०,
पटना

3. साक्ष्य

अभियोजन को अनेक अवसर प्रदान किए गए, किंतु – कोई भी अभियोजन साक्षी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ न तो प्राथमिकी दर्ज करनेवाले पदाधिकारी और न ही अन्वेषण पदाधिकारी ने न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किया। कोई भी दस्तावेज़ विधि के अनुरूप न्यायालय में सिद्ध नहीं किया गया।इस प्रकार अभियोजन द्वारा शून्य साक्ष्य प्रस्तुत किया गया।

4. अभियुक्त का कथन (धारा 313 द.प्र.सं.)

सभी अभियुक्तों का कथन धारा 313 द.प्र.सं. के अधीन दर्ज किया गया। अभियुक्तों ने सभी आरोपों से इन्कार किया और स्वयं को निर्दोष बताया।

5. निष्कर्ष एवं विचार

यह दण्ड प्रक्रिया का सुव्यवस्थित सिद्धांत है कि अभियोजन को अपने आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करना होता है। वर्तमान मामले में अभियोजन द्वारा न तो मौखिक और न ही दस्तावेज़ी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समय-समय पर निम्नलिखित निर्णय दिए गए हैं –

शरद बिर्धिचन्द सरडा बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1984) 4 SCC 116 – मात्र संदेह या आशंका साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकती।

राजस्थान राज्य बनाम राजा राम, (2003) 8 SCC 180 – अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल हो तो अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाना चाहिए।

कालीराम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, (1973) 2 SCC 808 – यदि दो संभावित दृष्टिकोण हों तो वह दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जो अभियुक्त के पक्ष में हो।

वर्तमान प्रकरण में अभियोजन पूर्णतया विफल रहा है और अभियुक्तों के विरुद्ध कोई भी दोषसिद्धि का आधार शेष नहीं रहता।

निर्णय / JUDGMENT

निर्णय की तिथि: 27.08.2025

1. अभियोजन का संक्षिप्त कथानक

दिनांक 18.07.2011 को संध्या लगभग 16:00 बजे कोतवाली थाना, पटना के पुलिस पदाधिकारी को सूचना प्राप्त हुई कि साइबर सिटी कैफे एवं इमरोज़ रेस्टोरेंट में अनैतिक गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। इस सूचना पर वरीय पदाधिकारियों की अनुमति से छापामारी दल गठित किया गया, जिसमें थाना प्रभारी एवं अन्य पुलिस बल सम्मिलित थे।

छापामारी दल द्वारा गोलघर दम रोड स्थित साइबर सिटी कैफे तथा गुलमोहर एवं इमरोज़ रेस्टोरेंट में क्रमशः तलाशी की गयी। अभियोजन के अनुसार तलाशी के दौरान कैफे एवं रेस्टोरेंट में युवतियों एवं ग्राहकों की उपस्थिति पायी गयी तथा अनुचित एवं अनैतिक कार्यों के संचालन के संबंध में संदेह उत्पन्न हुआ।

छापामारी के क्रम में पुलिस द्वारा कहा गया कि स्थल से आपत्तिजनक वस्तुएँ, नकद राशि ₹13,580/-, पुराने मोबाइल सेट एवं अन्य दस्तावेज़ बरामद किए गए। अभियुक्तों को घटनास्थल से गिरफ्तार कर कोतवाली थाना लाया गया।

तदनुसार अभियुक्तों के विरुद्ध कोतवाली थाना कांड सं. 359/2011 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई तथा आरोपपत्र दायर किया गया।

2. आरोप

साक्ष्य संकलन उपरांत अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 290, 294, 34 भा.दं.सं. एवं धारा 3/4/7 अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम के तहत संज्ञेय अपराध का आरोप निर्धारित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया और विचारण का विकल्प चुना।

दाण्डिक विचारण में निर्णय का शीर्ष

जिला- पटना (बिहार)

न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी

उपस्थित- मो० गुलाम रसूल
न्या० दण्डा० प्र० श्रे०,
पटना ।

दिनाँक – 27.08.2025

सामान्य पंजी सं० 3358/2011
कोतवाली थाना कांड सं. 359/2011
धारा 290, 294, 34 भा.दं.सं. एवं धारा 3/4/7 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम

राज्य

बनाम

1. पंकज कुमार, पिता – स्व० शिवमंगल सिंह उम्र – लगभग 36 वर्ष,
सा० – मीठापुर,थाना-जक्कनपुर,जिला-पटना
2. गुड्डू सिंह उर्फ़ राहुल कुमार साह, पिता – वीरेन्द्र प्रसाद उम्र – लगभग 43 वर्ष,
सा० – कंकडबाग,थाना कंकडबाग,जिला-पटना ।
3. पप्पू कुमार झा, पिता – राजेन्द्र झा, उम्र – लगभग 59 वर्ष,
सा० – ग्राम लावापुर, थाना – महनार, जिला – वैशाली।
4. सुमित कुमार, पिता – श्री ओम प्रकाश यादव, उम्र – लगभग 39 वर्ष,
सा० – पार्क रोड गोल गेट, थाना – गांधी मैदान, जिला – पटना।
5. पिंटू सिंह उर्फ़ ज्योति भूषण सिंह,पे०-राजेश्वर प्रसाद सिंह,उम्र-51 वर्ष,साकिन-+ थाना-बड़हिया, जिला-लखीसराय